Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जालोर में डाक्टर कानाराम, मैडीकल ज्यूरिस्ट, ट्रोमा सेन्टर, राजकीय जिला चिकित्सालय जालोर 2,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, दिनांक 19 अगस्त मंगलवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. जालोर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये परिवादी के साथ दिनांक 24.07.2025 को हुई मारपीट के प्रकरण जो कि पुलिस थाना कोतवाली जालोर में दर्ज है। उक्त प्रकरण में परिवादी की चोटों का चोट प्रतिवेदन जारी करने के एवज में डा. कानाराम, मैडीकल ज्यूरिस्ट, ट्रोमा सेन्टर, राजकीय जिला चिकित्सालय जालोर द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग की गई। जिसका एसीबी जालोर द्वारा गोपनीय सत्यापन करवाया जाकर आज दिनांक 19.08.2025 को परिवादी से **2,000/– रूपये** रिश्वत राशि प्राप्त करते हुऐ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** ने बताया कि ए.सी.बी. भ्रनिब्यूरो, जालोर इकाई को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी के साथ हुई मारपीट को लेकर पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज प्रकरण में परिवादी स्वयं का चोट प्रतिवेदन जारी करने की एवज में डा. कानाराम, मैडीकल ज्यूरिस्ट, ट्रोमा सेन्टर, राजकीय जिला चिकित्सालय जालोर को 2000/– रूपये की रिश्वत मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जोधपुर रेंज **उप महानिरीक्षक श्री भुवन भूषण यादव** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. जालोर ईकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मांगीलाल राठौड** के नेतृत्व में आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी डा. कानाराम, मैडीकल ज्यूरिस्ट, ट्रोमा सेन्टर, राजकीय जिला चिकित्सालय जालोर **2,000/– रुपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

एसीबी जोधपुर, रेंज उप महानिरीक्षक श्री भुवन भूषण यादव के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।